6.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बड़वाली में पेश हुई। आवेदकगण व अभिभाषक उपस्थित। बहस ठीक प्रारम्भ हुई गई। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़वाली के भूमि खसरा सं. 2283 रकबा 10 बीघा बीघा 8 बिस्वा जिसे आवेदक ने दिनांक 15.3.72 को क्रय कर उस पर निर्माण कर परिवार के साथ निवास कर रहा हूँ। अभिलेख में भूमि को तस्दीक करा लिया। फर्जी भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया तथा नामांतरण सं. 568 दि. 22.3.72 कर दिया और फर्जी आवेदक द्वारा अभिलेख आसवान ग्राम खसरा नं. 2283 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा के भूखण्ड विभाजन के नये खसरा 1205/2.73 बने तथा नया राजस्व ग्राम बनने पर नये खसरा 763/2.73 को आवेदक उपयोग अयोग्य करार कराकर फर्जी आवेदक ने 152 के भूखण्ड विभाजन के एवज में संख्या का गलत कर विधि विरुद्ध अपने नाम इन्द्राज करा लिया। भूखण्ड विभाजन किया सक्षम न्यायालय की डिक्री, पंजीयित विक्रय पत्र, हस्तगत हस्तांतरण पत्र के अभाव में कब्जेदार की भूमि का राजस्व रिकार्ड तबादील करने का कोई अधिकार नहीं था। अभिलेख के रिकार्ड दुरुस्त हेतु कार्य पत्र करने उपरांत भी रिकार्ड दुरुस्त नहीं करने पर आवेदक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के अस्त है परन्तु आवेदक के वैध अधिकारों की रक्षार्थ हेतु उप पंजीयक अलवर निवेदन का परीक्षण आवश्यक हुआ अभिलेखगत की न्यायालय नहीं में कार्य आराधार्थ आवेदक को वैध अधिकारों से वंचित करने हेतु

आदेश	कार्यवाही विवरण
	अनावेदकगण किसी भी क्रय भूमि को विक्रय अन्य किसी तरीके से भूमि को खुर्द-बुर्द कर देंगे अथवा आवेदक को उसकी निर्धारित से पाबन्द किया जावे कि अनावेदकगण 1 व 2 आवेदक के कब्जे शुदा भूमि के लाभ कर में वास्तव उपभोग उपयोग में तथा निर्माण आदि नहीं करें भूमि को विक्रय या किसी प्रकार से हस्तान्तरण आदि नहीं करें। अनावेदकगण उक्त भूमि का कोई दस्तावेज तस्दीक नहीं करें
	प्रपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका का तकमील अनावेदकगण को गई। अनावेदक 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर वर्णित किया कि ग्राम खाना 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि विश्वनाथ की भूमि आवेदक ने बिना प्रतिफल राशि दिये ही खातेदारी अपने नाम करवा ली विश्वनाथ के कोई गोदनामा आदि नहीं होने से किसी ने कब्जा प्रदान नहीं किया। आवेदक को भूमि की आवश्यकता नहीं की इसलिए वह भूमि को अनावेदकगण को 19200/- रु. प्रतिफल लेकर उत्तरदातागण को विक्रय कर दी तब से वादग्रस्त भूमि पर उत्तरदातागण का कब्जा चला आ रहा है आवेदक ने विक्रय पत्र बाद में तस्दीक करवाने के लिए कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार उत्तरदातागण को शांति पूर्वक कब्जा वांछित है। उत्तरदातागण ने विधिशुल्क सद्भावना पूर्वक आवेदक को प्रतिफल की राशि देकर कब्जा प्राप्त किया है। आवेदक ने मौका से सुनी आज पंचमादेश काल के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक ने खातेदारी भूमि अन्य अनावेदकगण के नाम खातेदारी दर्ज करने पर सहमति हो जाने पर भूप्रबंध विभाग के विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी अनावेदकगण के नाम दर्ज करवी उत्तरदातागण उक्त भूमि अन्य भूमि के साथ चाह का

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
फसल काश्त खरीफ व रबी की काश्त करते है तथा मकानात आदि बनाकर आबाद है। आवेदक ने बोरवेल आदि प्रा० पा० पेश किया है जो खारीज योग्य है। आवेदक की सहमति के आधार पर दि० 12.7.1980 को सहायक अभिलेख अधिकारी ने ग्राम बडवासी के मजरे आन मे निर्धन पार्टी उत्तरदाता के पक्ष में फैसला दिया है। आवेदक ने उपजीवन के पिकड़ नाड़ पेश करने से पूर्व कानूनन दो माह को नोटिस दिया जाना आवश्यक है अतः प्रा० पा० खारीज किया जावे	

जवाब प्रस्तुत होने पर बहसतरफीन पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना आधारों का वाद विचारणीय है जिसका निर्णय पक्षकारान को सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतात, दस्तावेज व गुणागुण के आधार पर निर्णय होना है अतः वाद बहुलता पक्षकारान मे कही बडे अनावेदकान को ना फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा के पाबाद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे। अंतरिम स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.12.09 को खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार शेष नम्बर के बाद तथा वाद तकमील करवाकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 6.6.18 को मजमे सिविल सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बवानी खेड़ा